



(42) Annexure - VI
(13)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/NOC/2012/2131 8/2

BY REGD./SPEED POST

Date : 12-06-2012

13

To,
M/s MMR Saha Infrastructure Pvt. Ltd,
V-23, Harola, Sector-5, Noida,
Gautam Budh Nagar(U.P)-201301

SUBJECT:- NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir,

Please refer to your letter no Nil, Dated Nil on the subject mentioned above.

This office has no objection to the construction of the proposed Commercial Building by M/s MMR Saha Infrastructure Pvt. Ltd. herein after referred to as the applicant(s) at location Plot No. E-1, Sector-52, Noida, G.Budh Nagar, (Co-ordinates- 28 35 18 N, 77 22 20 E) for a height of 162.20 Mtrs. (in figure) One Hundred Sixty Two decimal Two zero (in words) above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed 201.00 Mts(Two Hundred One decimal zero) (site elevation) plus(+) 162.20 Mts(height of structure)= 363.20 Mts. (Three Hundred Sixty three decimal Two zero) above mean sea level.

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) viz 201.00 Mts. relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARP/ Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India (National Airports Division) to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of five years from the date of issue. If the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of five years, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India(National Airports Division) and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region. The date of completion of the building/ structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures(eg. Wireless, TV antennas, munties, lift machine room, overhead water tank cooling towers etc.)"

NOTE:- THE SITE IS EXAMINED W.R.T IGI AIRPORT AND SAFDARJUNG AIRPORT ONLY.


(RAM LAL)

GENERAL MANAGER (ATM-NOC)NR

Copy to:- 1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.Delhi.

2. CATP, Noida, Main Administrative Building, Sector- Vi, Noida -201301

3. GM, Carto Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D.

4. Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, International T-3, Opp. ATS Complex, IGI Airport, New Delhi- 37.

GENERAL MANAGER (ATM - NOC)/NR

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : docuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To,

Mr. Ashok Vardhan Singh,
Head Business Development & PR,
MMR, Saha Infrastructure Pvt. Ltd.,
B-11, Sector-57, Noida-201301.

Ref:.....1443...../Parya/SEAC/1148/2012/TAJ Dated 30 September, 2013

Sub: Environmental Clearance for proposed Commercial/Mix Land use project "Bizz Town" at plot no. E-1, Sector-52, Noida, Gautam Buddh Nagar, U.P. M/s MMR Saha Infrastructure Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 12/03/2012, 09/05/2012, 17/01/2013 and 06/05/2013 addressed to the Secretary, SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 18/06/2013. A Presentation was made by the representatives of project proponents along with their consultant M/s ENV Development Assistance Pvt. Ltd. The project proponents informed the committee that:

1. The Environmental Clearance is sought for proposed commercial/Mix Land Use Project "Bizz Town" at Plot No E-1, Sector-52, Noida, M/s MMR Saha Infrastructure Pvt. Ltd.
2. The total plot area of proposed project is 35,312.08 m² and the built-up area is 257813.88 m². Green area is 10678.88 m².
3. The total water requirement is proposed as 1186 KLD which shall be sourced from Municipal Water Supply.
4. Total fresh water requirement is 671 KLD which shall be sourced from Municipal Water Supply.
5. Total waste water to be generated is 805 KLD which will be treated in house STP of capacity 1000 KLD. 129 KLD Waste water is proposed to be discharged into Municipal drain.
6. Approx. 6 Tons/day Municipal Waste shall be generated.
7. 4478 ECS is proposed for the parking purposes.
8. 14 nos. of Rain Water Harvesting Pits are proposed.
9. Total Power Requirement for the proposed project is 8.40 MW which shall be sourced from State Grid.
10. Backup Power Requirement is (4X750+1X1500+4X2000) KVA.
11. The project is covered under category 8"b" of EIA notification, 2006 as amended.

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (145th meeting held on 18/06/2013), the State Level Environment Impact Assessment Authority (105th

21. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
22. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
23. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
24. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
25. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
26. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
27. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
28. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
29. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
30. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
31. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
32. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
33. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
34. Prepare and present disaster management plan.
35. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
36. A report on the energy conservation measures conforming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
37. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
38. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
39. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
40. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.


65. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
66. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
67. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
68. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
69. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
70. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.
71. Project proponents shall endeavor to obtain ISO: 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purposes and compliance.
72. Appropriate safety measures should be made for accidental fire.
73. Smoke meters should be installed as warning measures for accidental fires.
74. Plan for safe disposal of R.O reject is to be submitted.
75. Project falling within 10 K.M. area of Wild Life Sanctuary should obtain a clearance from National Board for Wild Life (NBWL) even if the eco- sensitive zone is not earmarked.

B. Specific Conditions:

1. Sprinkler to be used for curing and quenching during construction phase. No ground water to be used during construction and operation phase.
2. Environmental Corporate Responsibility (ECR) plan along with budgetary provision amounting to 2% of total project cost shall be submitted (within three month) on need base assessment study in the study area. Income generating measures which can help in up-liftment of weaker section of society consistent with the traditional skills of the people identified. The program me can include activities such as old age homes, rain water harvesting provisions in nearby areas, development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. In addition, vocational training for individuals shall be imparted so that poor section of society can take up self employment and jobs. Separate budget for community development activities and income generating programmers shall be specified.
3. Use of LEDs should be used in place of CFL. Solar light is to be provided in the common areas with 50% of them may be with dual power.
4. All internal and peripheral roads should be minimum 9 m. wide and all entry & exit should be bell mouth shaped.
5. Green belt should be developed as per CPCB norms.
6. All the Environmental Issues are to be taken care of before occupancy of dwellings.
7. As committed during presentation STP to be constructed during construction phase. 100% waste water is to be treated in STP conforming to prescribe standards of receiving body or designated use. Monitoring of STP to be done weekly till its stabilizations then monthly. To discharge excess treated waste water into public drainage system/drains permission from the competent authority to be taken before prior to any discharge.

Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in the matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.




(J.S. Yadav)
Member Secretary, SEIAA

No...../Parya/SEAC/1148/2012/TAJ Dated: As above

Copy for Information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Chief Conservator, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. District Magistrate, Gautam Buddh Nagar.
6. Deputy Director, Regional Office, Directorate of Environment, Meerut.
7. Copy for Web Master/Guard file.



(O.P. Varma)

Director (I/c)/Secretary, SEAC
Directorate of Environment

20/03/14

24

REVISED SMOCTIOB
IV-1329

APPENDIX-I
(See regulation 5)

Form for filing plan to erect, Re-erect, demolish or to make material alteration in a building

To,
The Chief executive Officer,
New Okhla Industrial Development Authority
Noida, Uttar Pradesh.

Sir,

I hereby give application that I intend to ~~erect~~ erect/demolish or to make material alteration in the building on Plot No. E-1 in Sector: 52 Noida in accordance with the New Okhla Industrial Development Area Building Regulations and Planning and Development Directions and enclose herewith the documents as per requirement mentioned in this application.

I request that the construction may be approved and permission accorded to me to execute the work.

Anand

Signature of the applicant


ANAND RAJ

Name of Applicant (in Block letters)

MMR HOUSE, B-11,

SECTOR-57, NOIDA-201307

Address of the applicant



Dated:-

Anand

Rajiv Goel
RAJIV GOEL
CA/76/2361

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर
 पत्र संख्या: भ-20/सीएफओ/जीबीएन/2012/569 दिनांक: मार्च 2012
 सेवा में

प्रभारी भवन प्रकोष्ठ
 सैक्टर-6 नोएडा
 गौतमबुद्धनगर

विषय: प्लॉट न0-2 ई-1 सैक्टर-52 नोएडा में प्रस्तावित मैसर्स एमएम0आर साहा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 कार्यालय भवन के निर्माण व अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया प्रस्तावित भवन से सम्बन्धित मानचित्र प्राप्त हुए जिनका निरीक्षण सम्बन्धित भवन के अग्नि सलाहकार के साथ अग्नि शमन अधिकारी फेज प्रथम नोएडा द्वारा कराया गया जिनकी आख्या निम्नवत है भवन के सामने 45 मीटर चौड़ी सड़क है जिस पर अग्नि शमन विभाग के सभी प्रकार के वाहन किसी भी आकस्मिक स्थिति में स्थल तक आसानी से पहुँच सकते हैं। भवन के निर्माण हेतु 35,300 वर्ग मीटर का प्लॉट उपलब्ध है जिस पर निम्नानुसार तालिका के अनुरूप एरिया पर भवन बनाया जाना प्रस्तावित है ।

तल	इनवोलप	आउटकट	कवर्ड	सर्विस	एफ.ए.आर.	नान एफ.ए.आर
ला बसमन्ट	29995 वर्ग मी0	-	29995 वर्ग मी0	0	0	29995 वर्ग मी0
ग्रीडि0 बसमन्ट	29995 वर्ग मी0	-	29595 वर्ग मी0	0	0	29995 वर्ग मी0
अपर बसमन्ट	29995 वर्ग मी0	429.756 वर्ग मी0	29565.244 वर्ग मी0	0	12551.975 वर्ग मी0	17013.27 वर्ग मी0
गुल	20540.9 वर्ग मी0	6515.727 वर्ग मी0	14025.173 वर्ग मी0	552.403 वर्ग मी0	9925.3 वर्ग मी0	3547.47 वर्ग मी0
प्रथम तल	19838.516 वर्ग मी0	5438.123 वर्ग मी0	14400.393 वर्ग मी0	1083.415 वर्ग मी0	10471.892 वर्ग मी0	2845.086 वर्ग मी0
द्वितीय तल	19838.516 वर्ग मी0	4908.777 वर्ग मी0	14929.739 वर्ग मी0	995.859 वर्ग मी0	11088.794 वर्ग मी0	2845.086 वर्ग मी0
तृतीय तल	17749.786 वर्ग मी0	4643.505 वर्ग मी0	13106.281 वर्ग मी0	860.317 वर्ग मी0	9400.878 वर्ग मी0	2845.086 वर्ग मी0
चतुर्थ तल	5857.516 वर्ग मी0	0	5875.516 वर्ग मी0	284 वर्ग मी0	2728.43 वर्ग मी0	2845.086 वर्ग मी0
पाँचवाँ तल	4209.75 वर्ग मी0	0	4209.75 वर्ग मी0	331.768 वर्ग मी0	3877.982 वर्ग मी0	0
छठवाँ तल	4209.75 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	4194.996 वर्ग मी0	565.16 वर्ग मी0	3629.836 वर्ग मी0	0
सातवाँ तल	4209.75 वर्ग मी0	0	4209.75 वर्ग मी0	331.768 वर्ग मी0	3877.982 वर्ग मी0	0
आठवाँ तल	4209.75 वर्ग मी0	0	4209.75 वर्ग मी0	331.768 वर्ग मी0	3877.982 वर्ग मी0	0
नौवाँ तल	4209.75 वर्ग मी0	0	4209.75 वर्ग मी0	331.768 वर्ग मी0	3877.982 वर्ग मी0	0
सर्विस तल	3873.54 वर्ग मी0	0	3873.54 वर्ग मी0	0	0	3873.54 वर्ग मी0
दसवाँ तल	3873.54 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3858.786 वर्ग मी0	412.16 वर्ग मी0	3446.626 वर्ग मी0	0
ग्यारहवाँ तल	3873.54 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3858.786 वर्ग मी0	413.16 वर्ग मी0	3445.626 वर्ग मी0	0
बारहवाँ तल	3873.54 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3858.786 वर्ग मी0	414.16 वर्ग मी0	3444.626 वर्ग मी0	0
तेरहवाँ तल	3873.54 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3858.786 वर्ग मी0	511.86 वर्ग मी0	3346.626 वर्ग मी0	0
चोदहवाँ तल	3873.54 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3858.786 वर्ग मी0	416.16 वर्ग मी0	3442.626 वर्ग मी0	0
पन्द्रहवाँ तल	3873.54 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3858.786 वर्ग मी0	417.16 वर्ग मी0	3441.626 वर्ग मी0	0
सोलहवाँ तल	3873.54 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3858.786 वर्ग मी0	418.16 वर्ग मी0	3440.626 वर्ग मी0	0
सत्रहवाँ तल	3593.16 वर्ग मी0	0	3593.16 वर्ग मी0	0	0	3593.16 वर्ग मी0
अठारहवाँ तल	3593.16 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3578.406 वर्ग मी0	397.724 वर्ग मी0	3180.682 वर्ग मी0	0
अध्याह्निक तल	3593.16 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3578.406 वर्ग मी0	398.724 वर्ग मी0	3179.682 वर्ग मी0	0
उन्नीसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी0	14.754 वर्ग मी0	3578.406 वर्ग मी0	399.724 वर्ग मी0	3178.682 वर्ग मी0	0



(2)

बीसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3578.406 वर्ग मी०	513.724 वर्ग मी०	3064.682 वर्ग मी०	0
इक्कीसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3578.406 वर्ग मी०	401.724 वर्ग मी०	3176.682 वर्ग मी०	0
बाईसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3578.406 वर्ग मी०	402.724 वर्ग मी०	3175.682 वर्ग मी०	0
तीसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3578.406 वर्ग मी०	403.724 वर्ग मी०	3174.682 वर्ग मी०	0
सर्विस तल	3593.16 वर्ग मी०	0	3593.16 वर्ग मी०	0	-	3593.16 वर्ग मी०
चौबीसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3593.16 वर्ग मी०	397.724 वर्ग मी०	3180.682 वर्ग मी०	0
पच्चीसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3593.16 वर्ग मी०	397.724 वर्ग मी०	3180.682 वर्ग मी०	0
छत्तीसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3593.16 वर्ग मी०	397.724 वर्ग मी०	3180.682 वर्ग मी०	0
सत्ताइसवाँ	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3593.16 वर्ग मी०	513.724 वर्ग मी०	3064.682 वर्ग मी०	0
अठ्ठाइसवाँ	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3593.16 वर्ग मी०	397.724 वर्ग मी०	3180.682 वर्ग मी०	0
उन्तीसवाँ तल	3593.16 वर्ग मी०	14.754 वर्ग मी०	3593.16 वर्ग मी०	314.9 वर्ग मी०	3180.682 वर्ग मी०	0
गार्डी	314.9 वर्ग मी०	0	314.9 वर्ग मी०	314.9 वर्ग मी०	0	0

- 1- भवन के मानचित्र के अनुसार तीन भवन बनाये जाने प्रस्तावित है जिसमें से आवासीय भवन की ऊँचाई-128 मीटर, व्यवसायिक भवन की ऊँचाई-138 मीटर तथा मॉल की ऊँचाई-18.85 मीटर मानचित्र में प्रस्तावित है ।
- 2- सम्पूर्ण भवन वातानुकूलित बनाया जाना प्रस्तावित है
- 3- भवन के अग्र भाग में-15 मीटर, दाहिनी, बाई तथा पीछे की तरफ-9-9 मीटर सैंट बैंक छोड़ा जाना प्रस्तावित है जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाय ।

4- बेसमेन्ट

भवन के भूतल से बेसमेन्ट में जाने आने के लिए 10 स्टेयर केसों व 8 रेम्प का प्राविधान किया गया है । स्टेयर केसों की चौड़ाई प्रनोत्तरी में 1.5 मीटर अंकित है ।

5- भूतल

भूतल से तृतीय तल पर जाने आने के लिए 118 स्टेयर केस व 130 लिफ्ट का प्राविधान किया गया है तथा तृतीय तल से टैरेस तक जाने आने के लिए व्यवसायिक व आवासीय भवन में दो स्टेयर केस तथा 18 लिफ्ट का प्राविधान किया गया है जिसमें से दो लिफ्टों को फायर मैन लिफ्ट के रूप में चिन्हित किया जाय एवं स्टेयर केसों की चौड़ाई नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के अनुसार एक्सटरनल स्टेयर केसों की चौड़ाई 1.25 व इण्टरनल स्टेयर केसों की चौड़ाई 1.5 मीटर मानचित्र में अंकित है। फायर मैन लिफ्ट का सम्बन्ध इमरजेन्सी विद्युत आपूर्ति से कनेक्ट किया जाय ।

6- प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था

- 1- भवन के चारों तरफ छोड़े गये सैंट बैंक में किसी प्रकार का स्थाई व अस्थायी निर्माण न कराया जाय ।
- 2- भवन में अग्नि शमन कार्यों के लिए 300000 लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत टैंक व 20000 लीटर पानी की क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित कराया जाय इससे जोड़ते हुए 14 वेट राइजर व डाउनकमर का प्राविधान किया जाय जिसका डायामिटर 150 मिली मीटर रखा जाय इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील, लेन्डिंग वाल्व, होज केबिनेट स्थापित किये जाय होजकेबिनेट में दो-दो अदद आर0आर0एल0 होज पाइप लम्बाई-15, 15 मीटर व एक अदद स्प्रे ब्रान्च पाइप रखे जाय ।



- 3- अग्नि शमन कार्यो के लिए बनाये जा रहे भूमिगत टैंक को भरने के लिए एक हजार लीटर प्रति मिनट क्षमता का पम्प लगाया जाय जो आकस्मिक स्थिति में इमरजेन्सी विद्युत आपूर्ति से चालित होगा ।
- 4- वेटराइजर व डाउनकमर को सदैव पानी से प्रेशर बनाये रखने के लिए भूमिगत टैंक के पास 2850 एल.पी.एम. के दो अदद विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प, 600 एल.पी.एम. का एक अतिरिक्त फायर पम्प तथा 250 एल0पी0एम0 का एक अदद विद्युत चालित जौकी पम्प स्थापित किये जाय ।
- 5- भवन के चारों तरफ रिंगमेन डालकर उस पर यार्ड हाइड्रेन्ट का प्राविधान किया जाय ।
- 6- बेसमेन्ट सहित अन्य सभी तलों पर आटोमेटिक रिपंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाय
- 7- सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाय साथ ही मैनुवली आपरेटिड फायर एलार्म सिस्टम भी स्थापित किये जाय यह व्यवस्था 02 घन्टे बैट्री बैक अप सिस्टम से युक्त हो ।
- 8- भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट-4 के क्लॉज सी-9 में दिये गये निर्देशो का पालन किया जाय ।
- 9- भवन के टेरेस पर हैलीपैड के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट-4 के क्लॉज सी-10 में दिये गये निर्देशो का पालन किया जाय ।
- 10- भवन में स्टेयर केसों के प्रेशराइजेशन सिस्टम के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के क्लॉज सी के -4.10.6 से 4.10.7 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय जिसका सम्बन्ध आटोमेटिक डिटेक्शन प्रणाली से किया जाय ।
- 11- भवन में लिफ्ट के प्रेशराइजेशन सिस्टम के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के क्लॉज सी के -1.5 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय
- 12- भवन में रिफ्यूज एरिया के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के क्लॉज 4.12.1 से 4.12.3 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय
- 13- भवन में प्रदिप्त संकेत चिन्ह के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के क्लॉज 4.16 से 4.17 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय
- 14- भवन में विद्युत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 के क्लॉज 4.16 से 4.17 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय
- 15- भवन में एयर कण्डीशन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-पार्ट-4 के क्लॉज 1.17 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय
- 16- भवन में ट्रान्सफार्मर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट-4 के क्लॉज सी के 1.16 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय ।
- 17- भवन के बेसमेन्ट व अन्य सभी तलों पर स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाय जो भवन की किसी भी अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 एयर चेन्ज व साधारण स्थिति में 12 एयर चेन्ज होना आवश्यक है ।
- 18- भवन में जो भी फायर/स्मोक चैक डोर स्थापित किये जाय उनमें कम से कम दो घन्टे की अग्नि निरोधक क्षमता होनी चाहिये ।
- 19- भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान किया जाय ताकि किसी भी आपात स्थिति में भवन के अन्दर लोगों को अवगत कराकर सुरक्षित बाहर निकाला जा सके ।
- 20- भवन में फायर कन्ट्रोल रूम की स्थापना के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 के क्लॉज सी-5 का पालन किया जाय ।



(4)

- 21- भवन में स्थापित की जाने वाली अग्नि शमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्नि शमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 के क्लॉज सी-6 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय
- 22- भवन का निर्माण मिक्स आकूपेन्सी के अतिरिक्त इसका डेवियेशन किया जाता है तो इसका उत्तर दायित्व भवन स्वामी का होगा तथा निर्गत पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
- 23- भवन के निर्माण से सम्बन्धित फायर फाईटिंग व भवन में प्रयोग होने वाली ज्वलनशील गैस, एच0एस0डी0 के भण्डारण, भवन में वेन्टीलेशन से सम्बन्धित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिनको 10 दिवस के अन्दर भवन स्वामी प्रस्तुत करें अन्यथा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।
- 24- भवन निर्माण प्रारम्भ होने के उपरान्त स्ट्रेक्चरल सेफ्टी एवं प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में समय-समय पर अग्नि शमन विभाग से निरीक्षण कराना बिल्डर का नैतिक दायित्व होगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भवन निर्माण/अग्नि सुरक्षा व्यवस्था/डिटैक्शन प्रणाली की स्थापना के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-पार्ट-3, पार्ट-4, व भवन निर्माण उपविधि-2010 व समय समय पर संसोधित शासनादेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाय ।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर भवन निर्माण हेतु अथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है ।

(महेश्वरी सिंह)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गौरीसुन्दरपुर

प्रतिलिपि: अग्नि शमन अधिकारी फेज प्रथम नोएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या.....सी-1/एन/एन0ओ0सी0-1013/2014

दिनांक.....27/6/14

सेवा में,

मै0 "बिज टाउन"

द्वारा मै0 एम0एम0आर0 शाहा इन्फारट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0,

(एम0एम0आर0 हाउस), बी-11, सेक्टर-57,

नोएडा।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल:- प्लॉट नं0 ई-1, सेक्टर- 52, नोएडा

(ख) उत्पादन:-प्रस्तावित 35312.08 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 257813.88 वर्गमीटर भूमि पर ~~आवृत्त~~ ^{Commercial} परियोजना का निर्माण।

ग) मुख्य कच्चे माल:- बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) घरेलू उत्प्रेषण की मात्रा:- 805 के0एल0डी0

(ङ) प्रयुक्त ईंधन:- 750 के0वी0ए0 का 04, 1500 के0वी0ए0 का 01 एवं 2000 के0वी0ए0 के 04 डी0जी0सेट हेतु डीजल

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

u

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, सयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रेवाह शुद्धिकरण सयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करे।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करे जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
5. मै0 एम0एम0आर0 शाहा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "बिज टाउन" जो 35312.08 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिल्डअप एरिया 257813.88 वर्गमीटर भूमि पर ~~3000000~~ परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
6. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 805 के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रेवाह के शुद्धिकरण हेतु 1000 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित करे तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करे।
8. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्रावधानों के अनुसार किया जाये।
9. म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर कमीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।
10. समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि शोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।
11. संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करे।
12. संस्था नियमानुसार कम से कम 33 प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करे।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम,1974 एवं वायु अधिनियम,1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
14. संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त किया जाये।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पाँच वर्ष या बैंक मारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।
17. उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रेवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिचोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नहीं डाला जायेगा।


मै0 एम0एम0आर0 शाहा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0 "बिज टाउन"

प्लॉट नं0 ई-1, सेक्टर- 52, नोएडा

- 18- परियोजना द्वारा नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा।
- 19- परियोजना हेतु सिंचाई विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने कि परियोजना स्थल यमुना नदी फ्लड प्लान के अंतर्गत नहीं आता है, के उपरान्त ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा।
- 20- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेन्चुरी के निकट इको सेन्सिटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सिटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 21- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक-एफ-43142/सी-1/जी/एन0ओ0सी0-1013/2014, दिनांक 20.5.14 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दे कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.7.14 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय


सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं०.

एन0ओ0सी0

तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-1